

## References:

1. Alam, M. W., Saravanan, P., Al-Sowayan, N. S., Almutairi, H. H., Rosaiah, P., Prakash, N. G., & Ko, T. J. (2025). Polysaccharides and proteins based edible coatings for food protection: classification, properties, & public demands (2020–2024). *Journal of Food Measurement and Characterization*, 1-24.
2. Silva, M. M., & Lidon, F. C. (2016). Food preservatives-An overview on applications and side effects. *Emirates Journal of Food and Agriculture*, 28 (6), 366.
3. Russell, N. J., & Gould, G. W. (Eds.). (2003). *Food preservatives*. Springer Science & Business Media.
4. Parke, D. V., & Lewis, D. F. V. (1992). Safety aspects of food preservatives. *Food Additives & Contaminants*, 9(5), 561-577.
5. Rasooli, I. (2007). Food preservation—a biopreservative approach. *Food*, 1 (2), 111-136.
6. Bhattacharya, S., & Salama, H. H. A. E. A. (2023). *Natural Food Preservatives*. CRC Press.
7. Talib, A., Samad, A., Hossain, M. J., Muazzam, A., Anwar, B., Atique, R., ... & Joo, S. T. (2024). Modern trends and techniques for food preservation. *Food and life*, 2024(1), 19-32.
8. Hernández-Lozada, G., Pérez-Flores, J. G., García-Curiel, L., González-Olivares, L. G., Contreras-López, E., Escobar-Ramírez, M. C., & Pérez-Escalante, E. (2025). Application of bacteriocins in food preservation and safety: A bibliometric analysis approach. *Food Science Today*, 4(1), 12-22.
9. Mwale, M. M. (2023). Food additives: Recent trends in the food sector. *Health Risks of Food Additives-Recent Developments and Trends in Food Sector*.
10. Owusu-Apenten, R., & Vieira, E. (2022). Food Additives. In *Elementary Food Science* (pp. 355-376). Cham: Springer International Publishing.
11. Li, Q., Hou, J., Stevenson, J. S., & Liu, C. (2025). An integrated approach can improve China's food additives security. *Trends in Food Science & Technology*, 104904.
12. Said, N. S., & Lee, W. Y. (2025). Pectin-Based Active and Smart Film Packaging: A Comprehensive Review of Recent Advancements in Antimicrobial, Antioxidant, and Smart Colorimetric Systems for Enhanced Food Preservation. *Molecules*, 30(5), 1144.
13. Demirgöl, F., Kaya, H. I., Ucar, R. A., Mitaf, N. A., & Şimşek, Ö. (2025). Expanding Layers of Bacteriocin Applications: From Food Preservation to Human Health Interventions. *Fermentation*, 11(3), 142.
14. Reddy, N. B. P., Indumathi, C., Deotale, S., Nath, P. C., Ashoksuraj, B. S. R., Rajam, R., & Thivya, P. (2025). Recent developments and innovative application of propolis in the food industry: a natural preservative from honeybee waste. *Food Science and Biotechnology*, 1-21.
15. Maddaloni, L., Gobbi, L., Vinci, G., & Prencipe, S. A. (2025). Natural Compounds from Food By-Products in Preservation Processes: An Overview. *Processes*, 13(1), 93.
16. Ratnasekhar, C. H., Khan, S., Rai, A. K., Mishra, H., Verma, A. K., Lal, R. K., ... & Elliott, C. T. (2025). Rapid metabolic fingerprinting meets machine learning models to identify authenticity and detect adulteration of essential oils with vegetable oils: Mentha and Ocimum study. *Food chemistry*, 471, 142709.
17. Oliveira, T. S., Almeida, R. C. D. C., Silva, V. D. L., Ribeiro, C. V. D. M., Bezerra, L. R., & Ferreira Ribeiro, C. D. (2025). Enhancing Beef Hamburger Quality: A Comprehensive Review of Quality Parameters, Preservatives, and Nanoencapsulation Technologies of Essential and Edible Oils. *Foods*, 14(2), 147.
18. El Hassani, N. E. A., Baraket, A., & Alem, C. (2025). Recent advances in natural food preservatives: a sustainable solution for food safety and shelf-life extension. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 19, 293-315.
19. Alam, M. W., Saravanan, P., Al-Sowayan, N. S., Almutairi, H. H., Rosaiah, P., Prakash, N. G., & Ko, T. J. (2025). Polysaccharides and proteins based edible coatings for food protection: classification, properties, & public demands (2020–2024). *Journal of Food Measurement and Characterization*, 1-24.
20. Nie, X., Zuo, Z., Zhang, R., Luo, S., Chi, Y., Yuan, X., ... & Wu, Y. (2025). New advances in biological preservation technology for aquatic products. *npj Science of Food*, 9(1), 15.

## भारतीय जनजातीय जनसंख्या में परिवर्तन का विश्लेषण

डॉ. सारदा प्रसाद

सहायक आचार्य

प्रसार एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ

इग्नू नई दिल्ली -110068 Mob. 8368982167

### सारांश-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इंसान चरित्र से स्वार्थी होता है लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि किसी की जिंदगी को परेशानी में डाला जाये और उसके विकास की सारी हदें या सारे दरवाजे बंद कर दिए जायें। विकास का मुख्य उद्देश्य समानता और समरसता होता है और अगर विकास एक तरफा और समाज के एक पहलू का हो तो वो समाज में अराजकता और भ्रष्टाचार और असमानता और सामाजिक विद्रोह पैदा करता है/ कुछ अखबारों में छापे हुई समाचार की सचाई यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि कैसे जनजाति की भलाई वाली योजना का लाभ पढ़े-लिखे और अमीर दुरूपयोग करते हैं। हर रोज सामाजिक भेदभाव की घटनाये भारत में होती हैं और उनका रूप बहुत ही तरह का होता है। जैसे नीचे तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे लोग जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाकर लाभ के पद पर रह कर उन्ही का शोषण करते हैं और जातिवादी सोच के साथ ही छुआछूत जैसे अमानवीय घटनाएं भी होती हैं। अब ये बात सोचने वाली है कि क्या ये सब अनपढ़ और अनभिज्ञ लोग करते हैं या कोई षड्यंत्र है जिसको पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है।

क्या इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर सकारात्मक पड़ेगा या समाज में सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी। किसी भी रूप में सामाजिक समानता कायम करने में साहित्यकारों का अहम भूमिका थी और हमेशा रहेगी, इसलिए साहित्यकार समाज का वर्तमान और भविष्य का आईना होता है जो भूतकाल के अनुभव से वर्तमान और भविष्य का रास्ता निर्धारित करता है। समाज को भाषा, भेष-भूसा, खानपान, रहन-सहन, कर्म, रंग आदि के आधार पर बाँट सकते हैं पर क्या मानव के प्राकृतिक स्वाभाव और प्राकृतिक संरचना को भी बाँटा जा सकता है। जनजाति और सभी जाति के लोगों में अगर कोई अंतर है तो वह है भाषा का और अगर सब की भाषा एक हो जाये तो शायद समाज को विकसित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी भाषा प्राकृतिक नहीं होती है ये अपने तरीके से अपने लिए अपनों के द्वारा संचार का माध्यम मात्र है। अगर कोई भाषा प्राकृतिक होती तो नया जन्म लेने वाला शिशु अंग्रेजी में, संस्कृति में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फ्रेंच, रसियन (रूसी), चीनी, जापानी आदि में होता। इसलिए समाज में व्याप्त बुराईयाँ सिर्फ वाद से होती हैं और ये वाद है – भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, रंगभेदवाद, और अन्य तरह के वाद। जनजातियों की संख्या बढ़ना ठीक है, पर नीति विरुद्ध अतार्किक तरीके से बढ़ना देश व समाज के लिए घातक हो

सकता है I जो जनजाति जन्म से है उनका पूर्ण विकास से पहले और जातियों को जनजाति बना देना ये एक अन्याय ही नहीं बहुत बड़ा धोखा है उन अशिक्षित और बेरोजगारों के लिए।

**बीज शब्द:-** शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय, जनसंख्या, भाषा, साहित्य-मूल्य

**मूल आलेख-**किसी भी देश व व्यक्ति के समावेशी विकास में अर्थव्यवस्थाओं में विकास रणनीति की भूमिका अहम् है। नब्बे के दशक में जबसे आर्थिक सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है तब से मानव कल्याण योजना के विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ असमानताओं में कमी विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह, जैसे एसटी, एससी, इत्यादि में हुई है। इस कल्याण की योजनाओं में व्यक्तिगत लाभ शामिल है जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वस्थ देखभाल, पोषण स्तर, बिजली और जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास इत्यादि। आखिरी दशक के दौरान राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में जनजाति अनुसूची में कुछ बदलाव किये गए हैं और उस सूची में कुछ नई जातियों को सम्मिलित किया गया है। 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मिलाकर संशोधनों की संख्या, जोड़ों के रूप में मौजूदा में समानार्थी / उप-समूह प्रवेश, मुख्य प्रविष्टि / मुख्य के रूप में जोड़ समानार्थी / उप-समूह के साथ प्रवेश, अनुसूचित जाति सूची, हटाना, क्षेत्र से स्थानांतरण प्रतिबंध ओमेटेड, क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाया / परिभाषित, प्रतिस्थापन और पहले प्रविष्टि में संशोधन।

व्यापक रूप से जनजाति दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों - मध्य भारत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। जिसमें अनुसूचित जनजाति आबादी का आधा हिस्सा मध्य भारत में केंद्रित है, यानी, मध्य प्रदेश (14.6 9%), छत्तीसगढ़ (7.5%), झारखंड (8.2 9%), आंध्र प्रदेश (5.7%), महाराष्ट्र (10.08%), उड़ीसा (9.2%), गुजरात (8.55%) और राजस्थान (8.86%)। दूसरा क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत का है। जिसमें मिजोरम में सबसे ज्यादा जनजाति है, वहीं सबसे कम जनजाति उत्तर प्रदेश में है जो की क्रमशः ९४.४३ व ०.५७ % है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। अनुच्छेद 342, जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों के विनिर्देशों के लिए प्रदान करता है जो कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के संविधान के प्रयोजनों के लिए समझा जाता है। अनुसूचित जनजाति के रूप में दूसरे समुदाय को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। जनजाति समुदाय की विशेषताएं, जिसे लोकुर समिति द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया था, जो अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाने जाने के लिए है, निम्न है -

अ) आदिम लक्षणों का संकेत (Indications of primitive traits)

ब) विशिष्ट संस्कृति (Distinctive culture)

स) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की शर्म (Shyness of contact with the community at large)

द) भौगोलिक अलगाव (Geographical isolation)

ई) पिछड़ेपन (Backwardness)

उपर्युक्त विशेषताएं जनजाति यानि आदिवासी को परिभाषित करता है और आज २१वीं सदी में भी वही लक्षण को ही आदर्श मानते हैं। इस सन्दर्भ में अनुसूचित जनजाति और आदिवासी में अंतर को समझना होगा। सभी आदिवासी अनुसूचित जनजाति है लेकिन सभी अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुसार आदिवासी नहीं है। यानि जिन जातियों को अनुसूचित जनजाति के सूची में सम्मिलित किया गया है चाहे जिस जाति व धर्म का हो। हिमाचल और कश्मीर के ब्राह्मण भी अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं जबकि वो आदिवासी नहीं थे क्योंकि संविधान के अनुसार उन जातियों को अनुसूचित जनजाति माना जाये जो जनजाति क्षेत्र में जन्म लिए हैं यानि वो हर व्यक्ति चाहे आदिवासी हो या नहीं, वो सब अनुसूचित जनजाति है। २१वीं सदी में कुछ जनजातियों ने अपने को मुख्यधारा से जोड़ा और वहीं दूसरे पहलूओं को देखने से आज भी बहुत से लोग मुख्यधारा से दूर हैं और अलग थलग पड़े हुई हैं। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है आधुनिक शिक्षा का विकास और उनके लिए उनके हिसाब से उनकी भाषा में शिक्षा और विकास की नीति नहीं हो पाना है और अगर बन भी गया तो नीति को ठीक से लागू नहीं किया गया है। जबकि कुछ आदिवासी समुदायों ने मुख्यधारा को अपनाया है, स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी- Particularly Vulnerable Tribal Groups) के रूप में जानी जाती है और उनकी जाति की कुल संख्या 75 है, जिनकी निम्न विशेषताएं हैं: -

क) प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर (Pre-agriculture level of technology)

ख) स्थिर या गिरने वाली आबादी (Stagnant or declining population)

ग) अत्यंत कम साक्षरता (Extremely low literacy)

घ) अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर (Subsistence level of economy)

जनजातियों की जीवनशैली और विकास की गति मुख्यधारा की तरह आज भी नहीं है। सभी साहित्य चाहे भाषा के हो या सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के हो, ये बताते हैं कि जनजातियां यहाँ की मुख्य या मूल निवासी हैं और उनकी संपत्ति को किस तरह से उनसे छीना गया था या छीना जा रहा है या उनको अस्वासन देकर उनको छाला गया था, आज ये सोचने की बात है कि अभी भी उनके जीने के तरीके और रहन सहन के तरीकों में आशानुरूप परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बहुत से कारण हैं जिसका विस्तार से इस लेख में नहीं कर सकते हैं।

सब भाषा और साहित्य के विद्वान जो आज जनजाति साहित्य या कोई भी साहित्य लिख रहे हैं, वो साहित्य भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक होगा और आनेवाली पीढ़ी उसी के अनुसार अपने को जानेगी कि पहले वो क्या थे, क्या है और आगे क्या हो सकते हैं। सभी साहित्यकारों को पता होगा कि जनजाति कि जनसंख्या हर साल व हर दशक में बढ़ती ही जाती है लेकिन २००१ से २०११ में जो जनजातियों की जनसंख्या बढ़ी है, वो हम सबसे लोक सवाल करती है कि क्या कारण है जो जनजाति में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

१- जनजातियों की संख्या में कैसे और कहाँ और कितनी वृद्धि हुई

२- एक दशक में जनसंख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हुई

इस लेख में जो भी आंकड़े और साहित्य प्रयोग किया गए है वो भारत सरकार की जनगणना २००१ व २०११ और राष्ट्रीय प्रतिदर्श


२०१६ का है और बहुत से प्रतिलेखन व विवरण को सम्मिलित किया गया है। जनगणना के अनुसार जनजातियों को ३० राज्य में नोटिफाई यानि चिन्हित किया गया है जो ७०५ संजाति समूह में पाए जाते है।

**जनजाति संख्या में वृद्धि**-किसी भी देश की जनसंख्या मुख्यतः दो कारणों से बढ़ती है - प्राकृतिक और अप्राकृतिक क्रमशः उस देश की जन्म दर और पलायन दर . ये सर्व विदित है की जनजाति की जन्मदर दूसरों की अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन जिस दर से जनजाति की संख्या में वृद्धि हुई वो प्राकृतिक वृद्धि नहीं माना जा सकता है. जनजाति जी संख्या बढ़ने के चार कारण मुख्यतः चिन्हित किये गए है जो निम्न है -

- १-प्राकृतिक वृद्धि जो जन्म दर पर आधारित है (fertility rate)
- २-पलायन - स्थाई व अस्थायी रूप से (माइग्रेशन)
- ३-दूसरे समुदाय को अनुसूचित जनजाति के सूची में सम्मिलित करना (Inclusion)

४-अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए प्रावधान (पीईएसए)(पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 or PESA) (Schedule area एक्सपेंशन)

अगर हम २०११ जनगणना पर नजर डाले तो पता चलता है कि १०.४३ करोड़ जनजाति कि संख्या है जो कि भारत कि कुल जनसंख्या का ८.६ % है. उनमे से ९०% ग्रामीण इलाके में रहते हैं और बाकि शहरी परिवेश में. लेकिन २००१ से २०११ के बीच २३.६६% **जन-जाति** संख्या कि वृद्धि हुई जबकि भारत की पूरी आबादी में १७.६९% कि वृद्धि हुई है. पुनः अगर हम जनगणना १९६१ से २०११ तक देखे तो जनजाति की संख्या में २४२.५ % की वृद्धि हुई है जबकि भारत की पूरी आबादी में १७५% की वृद्धि हुई है। जनगणना १९६१ के अनुसार जनजाति की संख्या ३०.१ करोड़ थी वही २०११ में बढ़ कर १०४.३ करोड़ हो गयी है/ सबसे ज्यादा जनजाति की संख्या १९७१ से १९८१ से दौरान हुई थी जो करीब ३६% थी (तालिका 1)।



सारणी 2: 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या

राज्य	जनजातियाँ %			कुल जनसंख्या %		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	23.66	21.31	49.72	17.69	12.25	31.8
गाँवा	26274	46026	16293	8.23	-18.51	35.23
उत्तर प्रदेश	950.61	975.97	750.41	20.23	17.97	28.82
सिक्किम	85.23	64.01	312.95	12.89	-4.99	156.52
बिहार	76.25	77.07	61.68	25.42	24.25	35.43
हिमाचल प्रदेश	60.32	57.93	135.61	12.94	12.65	15.61
जम्मू और कश्मीर	35.02	33.41	67.92	23.64	19.42	36.42
अरुणाचल प्रदेश	34.98	30.28	63.81	26.03	22.56	39.27
केरल	33.13	23.73	265.19	4.91	-25.89	92.76
राजस्थान	30.16	29.4	43.58	21.31	18.96	29.01
दादरा और नगर हवेली	30.12	18.47	181.41	55.88	7.7	218.24
मैघालय	28.25	26.99	35.07	27.95	27.17	31.12
मध्य प्रदेश	25.2	24.73	32.13	20.35	18.42	25.69
मिजोरम	23.45	17.77	29.44	23.48	17.4	29.65
कर्नाटक	22.66	16.88	54.72	15.6	7.4	31.54
महाराष्ट्र	22.54	20.3	37.9	15.99	10.36	23.64
तमिलनाडु	22.01	19.8	34.18	15.61	6.61	27.05
झारखंड	21.98	21.05	32.34	22.42	19.58	32.36
माणपुर	21.8	12.07	217	18.63	9.14	44.83
पश्चिम बंगाल	20.2	17.38	63.38	13.84	7.68	29.72
गुजरात	19.2	16.82	45.69	19.28	9.31	36
छत्तीसगढ़	18.23	15.42	68.24	22.61	17.78	41.84
आंध्र प्रदेश	17.79	12.59	81.86	10.98	1.73	35.61
ओडिशा	17.75	16.84	33.37	14.05	11.77	26.94
त्रिपुरा	17.45	15.45	93.66	14.84	2.22	76.17
असम	17.4	16.19	42.16	17.07	15.47	27.89
उत्तरांचल	13.97	10.25	70.13	18.81	11.52	39.94
दमन और दीव	9.76	-31.92	175.76	53.76	-40.12	218.84
लक्षद्वीप	6.63	-58.2	89.78	6.3	-58.02	86.64
अंडमान और निकोबार द्वीप	-3.19	-6.12	79.17	6.86	-1.19	23.49
नागालैंड	-3.55	-15.36	75.71	-0.58	-14.55	66.57

स्रोत : भारत की जनगणना २०११ व २००१

तालिका 1: जनजाति आबादी के अनुपात में रुझान १९६१ से २०११ के दौरान

जनगणना वर्ष	कुल आबादी (दस लाख)	जनजाति आबादी (दस लाख)	जनजाति का अनुपात %
1961	439.2	30.1	6.9
1971	547.9	38.0	6.9
1981#	665.3	51.6	7.8
1991*	838.6	67.8	8.1
2001\$	1028.6	84.3	8.2
2011	1210.8	104.3	8.6

#Excludes Assam in 1981, \* Excludes J&K in 1991

\$ the figures exclude MAO-Maram, Paomata and Purul Sub-divisions of Senapati District of Manipur, 2001

भारत का मानचित्र दर्शाता है की कहा जनजाति की संख्या कितने सघनता पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, केरल और तमिलनाडु में जनजाति सबसे कम है जो ५% से नीचे है।

तालिका-२ में पुनः राज्यवार जनसंख्या का आंकलन करने पर पाते हैं कि दो राज्यों में अविश्वनीय जनजाति संख्या वृद्धि का पता चलता है और वो दो राज्य है गोवा जहाँ २६७२४% की जनजाति में वृद्धि हुई है २००१ और २०११ के बीच में. गोवा में जनजाति की मुख्य जाति ये है - गोवा संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 के अनुसार और 1987 के अधिनियम 18 द्वारा डाला गया- ढोडिया, डब्लुबा (हलपाती), नायकदा (तालाविया), सिद्दी (नायक) व वर्ली। गौड़ा और कुनबी जनजाति समुद्रतट पर रहते हैं और इनको वहाँ का मूलनिवासी नहीं माना जाता है/ ये कोंकण क्षेत्र से गोवा को पलायन किये थे जो मुख्यतः क्रिस्चियन कम्युनिटी से सम्बन्ध रखते हैं। गोवा में सबसे ज्यादा जनजाति की वृद्धि ग्रामीण परिवेश में हुई है/ गोवा में जनजाति की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण नई जातियों को जनजाति में सम्मिलित करना है/

इसके बाद उत्तर भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनजाति की संख्या में ९५०.६% की वृद्धि हुई है एक दशक में. उत्तर प्रदेश के परिधीय क्षेत्र में आदिवासी, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार -बागा, भार, भोक्स, बांध, चैरो, गोंड, कोल और कोरवा जैसे कई जनजातीय समुदायों का घर हैं। इन आदिवासी समुदायों में से पांच को भारत सरकार द्वारा वंचित अनुसूचित जनजातियों के रूप में दोबारा जोड़ा गया है, जैसे- थारस, बोक्सस, भोटियास, जौनसवारिस और राजिसा - भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, व थारू। रेंकेआयोग (२००८) के अनुसार उत्तर प्रदेश की बहुत सी जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर अधिसूचित किया गया था जो इसप्रकार है -

1. आभाया, 2. आहेरिया (बेहेलिया), बेहेलिया, 3. आंधर, 4. बदाक, 5. बैरिया, बेडिया, 6. बंजारा, 7. बंसी, 8. बरवर, 9. बावडिआ, 10. बेलदार, 11. भर, 12. भांतु, 13. भट, 14. भात्री, 15. बोरिया, 16. बृजवासी, 17. चमार, 18. चमरमांगता, 19. दलेश कहर, 20. दर्जी, 21। डॉम, 22. गादोला, 23. घोसी (हिंदू), 24. गोदनहार, 25. गोसाईं, 26. गुर्जर, 27. हाबुरा, 28. जोगी, 29. कंजर, कंजाद या कुचबांगिया, 30. कलंदर, फकीर, 31. कपारिअ, 32. कर्मांगिया (हिंदू महावत), 33। करबा, 34. केवट, 35. उतार प्रसाद, खटिक, खतेक, 36. खुरपालता, 37. कीगिरिया, 38. कुंकली, 39. लोध, 40. लोना चमार, 41. मदारी, 42. महावत तथ लुंगेपथन, 43. मल्लाह, 44. मेवाती, 45. मुगिआ (Mung), 46. मुसर (वानमानुश), 47. नट या कर्णतक, 48. पालवार दुसाध, 49. परवल, 50. पासी, 51. पिघिआ, 52. संतीआ, 53. टागभट, 54. वैद, 55. सपेरा, 56. सिकिगर, 57. सिंघीवाला। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति में 2017 के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अग्रिया (सोनभद्र जिले में)
  2. बागा (सोनभद्र जिले में)
  3. भोटिया
  4. भुईया, भुएन्या (सोनभद्र जिले में)
  5. बुक्सा
  6. चैरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
- गोंड, धुरीया, नायक, पाथारी, राज गोंड (मेहरराजगंज जिलों में, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर,

- वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र)
7. जौनसारी,
  8. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
  9. पंक, पानिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)
  10. परहिया (सोनभद्र जिले में)
  11. पाटारी (सोनभद्र जिले में)
  12. राजी
  13. सहारा (ललितपुर जिले में)
  14. थारू

इस प्रकार से हम कह सकते हैं जनजाति की संख्या डेनोटिफ़िएड या अधिसूचित करने से ही इतनी अधिक की वृद्धि हुई है/ अब ये प्रश्न उठता है कि इनको सम्मिलित करने के बाद उन जनजाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो जन्म से जनजाति है। क्या वो सभी जनजाति का विकास हो गया जो और जातियों को सम्मिलित करने की जरूरत पड़ी या राजनीतिक खेल है जो वोट बैंक और विशेष जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। सरकारी रियायत जो जनजाति को मिलना चाहिए क्या वो मिलेगा या जो नई जाति जनजाति में सम्मिलित हुई है उनको इसका फायदा होगा/ इसपर आगे लिखेंगे।

हम पुनः तालिका २ पर नजर डाले तो पाते हैं भारत के ३६ राज्य में से केवल 31 राज्यों में ही जनजाति है और जिनमे जनजाति नहीं है वो राज्य है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पॉन्डिचेरी। सिर्फ नागालैंड और अंदमान और निकोबार द्वीव समूह में जनजाति कि संख्या में कमी हुई है बाकि हर राज्य में जनजाति कि संख्या में वृद्धि हुई है. तालिका-२ दर्शाता है कि कितने जिलों में कितना प्रतिशत जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार, 640 जिलों हैं देश में से 631 ग्रामीण जिले है। 5879 उप जिले है, (तहसील), 597483 गांव, 8398 कस्बों और 82251 वार्ड है। तालिका-३ में जिला स्तर पर, 2011 की जनगणना से पता चलता है कि 90 जिले हैं जहां एसटी जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।

तालिका 3: अनुसूचित जनजाति जिलेवार

% अनुसूचित जनजाति	जिलों की संख्या
<1	55
1 to 5	282
6 to 20	134
21 to 50	79
50+	90

कहीं - कहीं जनजाति क्षेत्र में कोई बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ की जनजाति जनसंख्या कैसे बढ़ी, ये अनुसन्धान का विषय है, और सभी साहित्यकारों को इस पर काम करना चाहिए और

ये पता करना चाहिए की क्यों और किस स्तर तक जनजाति की संख्या में समय समय पर परिवर्तन हुआ है लेकिन इतनी ज्यादा दर से ये सॉचने का विषय है। अनुसूचित क्षेत्रों के वृद्धि से भी संख्या बढ़ी है जो नीचे व्याख्या की गयी है।

### पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 or PESA -

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 या पीईएसए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान के पांचवें अनुसूची द्वारा पहचाने जाने वाले क्षेत्र हैं। अनुसूचित क्षेत्र भारत के दस राज्यों में पाए जाते हैं जिनमें जनजातीय समुदायों की जनसंख्या अधिक होती है। अधिनियम के तहत जितने भी लोग उस एरिया में जन्म लेंगे वो अनुसूचित जनजाति कि श्रेणी में आएंगे. इसलिए बहुत से जाति जैसे - हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी राज्य में ब्राह्मण, गुर्जर आदि अनुसूचित जनजाति में आते है और इनको फायदा भी मिलता है जैसे आरक्षण आदि में।

### २१वीं सदी में जनजाति साहित्य-

जैसे कि पहले ही लिख चुके है जनजाति साहित्य में चुनौतियां और सम्भावनाये बहुत है लेकिन इसको उस दृष्टि से लिखना चाहिए ताकि आज का जनजाति समुदाय उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के साथ कदम से कदम मिला के चल सके और उनके भविष्य के विकास में पथप्रदर्शक बने। आज के जनजाति साहित्य को पुराणों और वेदो को आधार बनाकर विज्ञान से जोड़ के लिखना होगा और भ्रम और भेदभाव पूर्ण साहित्य को नकारना होगा तब शायद २१वी सदी में जनजाति साहित्य को विश्वपटल में रखा जा सकता है और दूसरे साहित्य से मिल जूल के आगे बढे. २१वीं सदी में जनजाति साहित्य कैसा होना चाहिए इस पर थोड़ी पिकचर देखिये और ऊपर जो डाटा दिया गया है उसको मिला के साहित्य को लिखना होगा जो बहुभाषी, बहुआयामी और बहु-सांस्कृतिक हो। अब ऐसे साहित्य नहीं चाहिए जिसमे पछपातपूर्ण कहानी का वर्णन हो जैसे सबरी ने राम जी को बेर खिलाये और सिर्फ आशीर्वाद के शिवाय कुछ नहीं मिला लेकिन वहाँ सुदामा ने एक चावल खिलाया और श्रीकृष्ण जी ने उनको करोड़पति बना दिया था। एकलव्य के अंगूठा दान को भी आज के साहित्य में जगह होनी चाहिए, क्योंकि इससे चालाकी और सच्चाई में फर्क पता चले। भगवान् बिरसा मुंडा और आदिवासी वीरों के कहानी को लिखना होगा और संबुक की हत्या क्यों की गयी और किसने की और किसके कहने पर की ये भी जनजाति साहित्य में होना चाहिए। आज जनजाति साहित्य दुनिया के साहित्य और संस्कृति से मिले जो मानवता को उजागर करता हुआ भविष्य की पीढी को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करे। झूठी और काल्पनिक साहित्य से सिर्फ समय को गवांया जा सकता है लेकिन जनजातियों के सामाजिक आर्थिक और राजनितिक भविष्य को व वर्तमान को बदला नहीं जा सकता है। जनजाति साहित्य जन जातियों के लिए जनजातियों के द्वारा व जनजाति के भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि उनके मस्तिष्क को कुंद न किया जा सके।

**शिक्षा-** शिक्षा सर्वांगीण विकास की कुंजी है और मानव विकास के लिए अमृत है और समाज विकास के लिए रामबाण/ सर्वरोगहारी (Panacea)

है। जनजाति साहित्य में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए और शिक्षा आधारित कहानिया लिखनी चाहिए/ शिक्षा एक व्यक्तियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण घटक है, जो अधिक से अधिक सक्षम बनाता है। जागरूकता, और उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में बेहतर समझ और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार में भी सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा भारत में अनुसूचित जनजाति के मामलों में सच है। जनगणना २०११ के अनुसार जनजाति साक्षरता दर में 11.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो की भारत की पूरी साक्षरता में वृद्धि से ज्यादा है (8.15%) 2001 से 2011 अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSSO) २०१६ के अनुसार जनजाति २.४% स्नातक और स्नातकोत्तर तक शिक्षित है जो बढ़ी सोचनीय और ध्यान देने योग्य है। हालांकि साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में महिलायों की साक्षरता दर कम है। जनजातियों के लिए शिक्षा उनकी ही भाषा में दी जानी चाहिए और उनको शिक्षित करने का मुख्य तरीका प्रौढ़ शिक्षा और प्रसार शिक्षा ही होगा. अगर हम उनको उनकी भाषा में शिक्षा नहीं दिए तो उनके दिमाग को मरने का तरीका प्रस्तुत करते है उनके सामने.

**स्वास्थ्य-** शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य का होना चाहिए जनजाति साहित्य में। अगर स्वास्थ्य की दशा को देखा जाये तो जनजातियों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं हुए है। जनगणना 2001 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और 5 वर्ष से कम मृत्यु दर मध्य प्रदेश में एसटी के लिए दर (य 5 एमआर) सबसे अधिक है (110 और 16 9 क्रमशः प्रति 1000 जीवित जन्म) उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है (104 और 158 क्रमशः प्रति 1000 जीवित जन्म)। प्रसवपूर्व देखभाल भी जनजाति महिलाओं में कम है और अपने खानपान में ९० लौह की गोलियां भी नहीं लिया गर्भावस्था के दौरान जोकि सरकार के द्वारा प्रस्तावित है और अनिवार्यरूप से लेना होता है। सरकार के प्रयास के बावजूद भी जनजाति क्षेत्रों में उप-केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही कम और यदि उपलब्ध भी है तो उनका उपयोग जनजाति के लोग कम करते है/ इसका कारण बहुत है पर स्वास्थ्य केंद्र का दर होना और समय पर न खुलना व स्वास्थ्य कर्मियों का व्योहार ठीक न होना मुख्य कारण होता है। तालिका-४ से यह विदित हो जाता है कि जनजाति को सबसे ज्यादा व्याधि मलेरिया और टाइफाइड होता है फिर पेट की बीमारी होती है/ प्रजनन सम्बन्धी बीमारी जनजाति में होती है लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं देते है सर्वे के दौरान/अधिकांश जनजाति एलोपैथिक दवाएं प्रयोग करते है जो एक सकारात्मक पहलू जो अब जादू टोना झाडफूक में विश्वास न करके वैज्ञानिक दवाएं अपनाते है. लगभग सभी जनजाति सरकारी अस्पताल को प्रयोग करते हैं. सरकारी अस्पताल प्रयोग करने का मुख्य कारण सस्ता इलाज है जबकि भारत की आधे से ज्यादा लोग निजी अस्पताल का प्रयोग करते है.

अनुसूचित जनजातियों में पुरुषों के अपेक्षाकृत महिलाओं में फल और दध या दही में विशेष रूप से कम आहार होता है। दध या दही सौप्ताहिक एसटी पुरुष 33.5 प्रतिशत और एसटी महिलाओं का 41.8 प्रतिशत तक खाया जाता है। जनजाति महिलाओं के फल का सेवन ज्यादा प्रचलित नहीं है और ७२.६ प्रतिशत महिलाये सप्ताह में एक बार भी फल का सेवन नहीं करती हैं। अधिकांशतः जनजाति महिला व पुरुष में खून की कमी के लक्षण पाए गए है। जनजाति महिलाओं की अवशत शादी की उम्र १६.५ वर्ष होती है. सबसे ज्यादा एच आई वी और यौन संचारित रोगों की दर जनजाति में ज्यादा पायी जाती है

इसका मुख्य कारण अज्ञानता और अनभिद्यता है जिसकी उनको यौन शिक्षा और स्वस्थ शिक्षा से पूर्ण किया जा सकता है। आज भूमंडलीकरण के समय में उनकी शिक्षा भी विश्वस्तरीय होनी चाहिए, ताकि वे देश क्या विश्व के किसी भी कोने में जाकर और वहां रहकर अपना जीवनयापन कर सकें।

तालिका 4: जनजातियों में व्याधियां/बीमारियां

रोग/व्याधि	पुरुष			महिला			कुल		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
सभी बुखार-मलेरिया टाइफाइड	13.3	9.2	12.7	15.4	15.4	15.4	13.7	10.5	13.2
दुर्घटनाग्रस्त	5.6	5.4	5.6	3.4	6.9	3.9	5.2	5.7	5.3
पेट में दर्द: गैस्ट्रिक और पेटिक अल्सर	4.4	5.8	4.6	4.7	3.7	4.6	4.5	5.4	4.6
दस्त की खुराक	2.8	2.5	2.7	3.5	3.0	3.4	2.9	2.6	2.9
हृदय रोग: छाती का दर्द, श्वासहीनता	2.0	4.5	2.3	2.4	3.9	2.6	2.0	4.3	2.3
किसी भी जोड़ में संयुक्त या हड्डी रोग	2.0	3.0	2.1	1.8	.5	1.6	1.9	2.5	2.0
उच्च रक्तचाप	1.6	1.0	1.5	3.1	2.8	3.1	1.8	1.4	1.8
चेतना के नुकसान के साथ बुखार	1.5	.4	1.3	1.9	4.1	2.2	1.5	1.1	1.5
तपेदिक	1.1	.9	1.1	3.5	.3	3.1	1.6	.8	1.5
मोतियाबिंद	1.5	1.2	1.5	1.4	1.1	1.3	1.5	1.1	1.4
कैंसर	1.0	3.5	1.3	1.8	3.2	2.0	1.1	3.5	1.4

Source: NSSO, 2016, 71<sup>st</sup> round

**जनजातीय में रोजगार/व्यवसाय-**अगर शिक्षित व्यक्ति स्वस्थ रहे तो उसको हर काम करने में लगन होती है और जनजाति साहित्यमें उनके आर्थिक कार्य करने की स्थिति को भी सम्मिलित करना चाहिए कि वो कौन सा काम तत्परता के साथ कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं और कहाँ - कहाँ कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं और उस काम का परिणाम उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक स्तर पर कितना होगा. रोजगार की स्थिति को परिभाषित किया गया कि कोई भी आर्थिक रूप से उत्पादन 'कार्य' की भागीदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार, संपूर्ण आबादी को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- मुख्य श्रमिक, मामूली श्रमिक और गैर-श्रमिक। मुख्य कर्मचारी वे हैं जो वर्ष भर में १८३ दिन या छह माह या इससे अधिक समय तक कोई भी आर्थिक उत्पादक कार्य करते हैं। मामूली श्रमिक, जो वर्ष में १८३ दिन से कम कार्य किये हैं। गैर-श्रमिक वे हैं जो गणना की तारीख से पहले वर्ष में किसी भी समय काम नहीं किया है। कार्य गतिविधि की स्थिति जानने के लिए कुछ बिंदु पर ध्यान आकर्षित करते हैं जैसे - (i) मैं काम कर रहा हूँ; (ii) काम के लिए खोज या उपलब्ध, यानी बेरोजगार; (iii) न तो काम करना और न ही 'तलाशना या काम के लिए उपलब्ध'। श्रेणी (i) और (ii) के तहत व्यक्तियों के गतिविधि की स्थिति 'श्रम बल (labour

force) के अंतर्गत आती है 'और श्रेणी (iii) के तहत हैं, 'श्रम बल (not in labour force) से बाहर'। जनजाति में सबसे ज्यादा पुरुष श्रमिक है और सबसे ज्यादा प्रतिशत जम्मू-कश्मीर (66.24%) जबकि कुल महिला एसटी श्रेणी में श्रमिक ओझ प्रदेश सबसे ज्यादा है (48.05%)। पुरुष मुख्य श्रमिक श्रेणी में, जम्मू-कश्मीर राज्य सबसे ऊपर है (81.52%), इसके बाद त्रिपुरा (74.80%) के साथ जनजाति महिलाये मुख्य कार्यकर्ता की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष श्रेणी में जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम प्रतिशत है (45.65%)।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में अधिकांश जनजातियों की अर्थव्यवस्था शिकार और भोजन एकत्रित करने में किया गया था और उसके बाद में जीविका आधारित कृषि व जंगलों पर निर्भर है। भारत में एक बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी ग्रामीण इलाकों में अभी भी रहती है। आजीविका, खाद्य सामग्री, ईंधन, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं, आदि जंगल से लेते हैं। जनजातियों का बड़ा प्रतिशत वन क्षेत्रों के करीब रहने के कारण जनजातियां, समाज के सबसे वंचित वर्ग में गिनी जाती है और उनका प्रति व्यक्ति आय, उनकी साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच की कमी रहती है। जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए उनके ही तरीके से उनको कार्य कुशल बनाना होगा जिसको विश्वस्तरीय करने के लिए उनको नए तरीके सिखाने होंगे ताकि वो बिना हिचक और बिना संकोच के उसको अपना लें। आज का समय उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण का है और जनजाति के समग्र विकास के लिए उनको शिक्षा और दीक्षा इसी आधार पर देना होगा और पाखंड और भ्रमित करने वाली शिक्षा से दूर करना होगा. ये बातें आज के जनजाति साहित्य में होना चाहिए और हो सके तो उनके पारम्परिक को आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना और उसी व्यवसाय के अनुसार प्रशिक्षण देना सोने पर सुहागा होगा.

**बुनियादी सुविधाएं-**शिक्षा, स्वस्थ और धंधा/रोजगार के बाद जनजाति के रहन सहन और उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का भी उल्लेख होना चाहिए जनजाति साहित्य में/ वैसे हर जीव के लिए भोजन जरूरी होता है लेकिन इंसानों के लिए भोजन, वस्त्र और निवास (रोटी, कपडा और मकान) अनिवार्यरूप से होना चाहिए/ बुनियादी सुविधाएं: जनगणना 2011 दिखाता है कि बुनियादी सुविधाओं के मामले में आवास की स्थिति, पेयजल उपलब्धता, स्वच्छता सुविधा, ईंधन का इस्तेमाल, बिजली, संचार सुविधाओं और परिवारों का बैंक खाते और कुछ अचल परिसंपत्तियां आदि में अनुसूचित जनजातियां बहुत ही पिछड़े हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण २०१६ के अनुसार, जनजाति भोजन पकने में ८४.५ % घर असुरक्षित ईंधन (लकड़ी और चिप) का प्रयोग करते हैं और लगभग ११% लोग एलपीजी का प्रयोग करते हैं। ७०% जनजाति हैंडपंप से पानी पीते हैं और जिनके घर निकासी नाली नहीं है। हम कह सकते हैं कि उनके पास आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आज बहुत से जगह पर जनजाति के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है. भारत की आजादी के ७० वर्ष बाद भी आज वे लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है इसका मुख्य कारण हमारी विकास की एक तरफा और नगर केन्द्रित नीति है जो लोग पढ़-लिख गए वे शहर को पलायन कर गए, लेकिन अपने लोगों से दूरियां बना लिया। भ्रष्टाचार भी इसका दूसरा और सबसे

खतरनाक सचाई है जो जनजाति के विकास की बात करते थे वे अमीर हो गये और वनवासी बेचारे वहीं के वहीं रह गए.

**जनजाति भाषाएं-** भाषा संचार का माध्यम है और विविध हर जगह हर समुदाय की भाषा अलग होती है। भारत बहु भाषी बहु सांस्कृतिक और बहु-जातीय व धर्मों का देश है जो कि हर कोष में पानी बदले और चार कोष में वाणी। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है -असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, और हिंदी। जनजाति की भाषाएँ उनके परिवार व जन्म से सम्बंधित होती है और इस हिसाब से भारत में अनेको भाषाएं जनजाति अपने क्षेत्र के हिसाब से बोलते है। साहित्यकारों ने इन भाषाओं को उनके परिवार के हिसाब से पांच तरीके से विभाजित किया है जैसे इंडो आर्यन परिवार, तिब्बतो-बर्मन परिवार, द्रविड़ियन परिवार, ऑस्ट्रो -एशियाटिक परिवार और अंडमानीज परिवार. तालिका -5 में सारी भाषाओं को इंगित किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति भाषा इंडो-आर्यन परिवार की बोली जाती है। उसके बाद तिब्बती-बर्मन और द्रविण परिवार की भाषाएं बोली जाती है।

अब यहाँ समस्या है कि इतनी भाषाओं की लिपि क्या है और क्या होना चाहिए। इन २२ भाषाओं की लिपि भारत में पहले से ही है और अगर इन सभी भाषाओं की लिपि भी बन जाये तो शायद भाषावाद का विरोध होने की संभावनाएं भविष्य में हो सकती है। भारत की एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा लिपि तैयार करना चाहिए और ये तीन भाषाएं है - हिंदी, स्थानीय या राज्य भाषा व अंग्रेजी भाषा। इन तीनों भाषाओं से ही जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास संभव होगा जो आज के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण के युग में बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी लिपि से सीखने की क्षमता को नीरस बनाएगा और समय की बर्बादी होगी। साहित्यकारों को चाहिए की सभी भाषाओं के शाब्दिक अर्थ को सम्मिलित किया जाये ना कि हर भाषा का लिपि तैयार करना चाहिए/ हर भाषा को अनुवाद (ट्रांसलेट) करके उसको सर्वजन के पढ़ने योग्य बनाना चाहिए और लिपि जो पहले से है उसी लिपि में ही जनजाति साहित्य को लिखना चाहिए। ताकि वे विश्व के साथ मिलकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके।

तालिका 5: जनजातियों द्वारा उनके परिवार में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं		
क्षेत्र/राज्य	भाषा का नाम	परिवार
अडमान द्वीप समूह	ओंगे	अंडमानी
उत्तरी सेंटिनल द्वीप - अंडमान	सतीनेलेज	
उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल	थारू	
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	जोनसारी,	
गुजरात और राजस्थान	भीली, गारासिया, कोकणी	
गुजरात, महाराष्ट्र	मवाचि	
गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र	ढकी	
छत्तीसगढ़	बेगानी, धुवां, कारवा	
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश	हल्बी	
पश्चिम बंगाल	खोइटा	
बंगाल और असम	चक्रमा	
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल	मगहो	इंडो-आर्य
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र	निमारी	
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	राठी, कोरकू	
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात	कोटवालिया	
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, प बंगाल	लमनी	
महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली	वाली	
मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश	हाजोग	
राजस्थान	धुंधरी, थार	
राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश	वागरी	
राजस्थान, मध्य प्रदेश	हाडौती	
हरियाणा, उ. प्र. म प्र. राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली	गुजरी	
अडमान और निकोबार द्वीप समूह	शाम्पेन, जरावा	
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, त्रिपुरा	खरिआ	
झारखंड	आसुरी, मुंदरी	ऑस्ट्रो-एशियाटिक
झारखंड, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम	संताली	
झारखंड, ओडिशा	हो	
निकोबार द्वीप समूह	निकोबारी	
पश्चिम बंगाल, ओडिशा	लोढ़ा	
महाराष्ट्र	कुमी	
अरुणाचल प्रदेश	आदिकशिन, अपातानो, डफला, मोनपा, सजालोंग, जखरिंग	
अरुणाचल प्रदेश, असम	सिंगफो	
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड	कोन्याक	
असम	बोडो, मिशिंग, टैंग करे	
असम, अरुणाचल प्रदेश	देवरी, शेरदुकपन	
उत्तराखंड	भोटिया	
कश्मीर	बाल्टी	
नागालैंड	ओ, नागा, रंगमा, वांचो	तिब्बती-बर्मन
मणिपुर	कोइरंग, पाइते, जोउ	
मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा	वैफेइ	
मणिपुर, नागालैंड	चिरु	
मणिपुर, मेघालय, असम	गगट	
मिजोरम	दुहलियन-झकार, हूआलंगो, मारा	
मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड	लुशाई	
मिजोरम, मणिपुर, असम	हमार	
हिमाचल प्रदेश	लाहौली	
आंध्र प्रदेश	येरुकुला, सवार	
आंध्र प्रदेश, ओडिशा	कोया	
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र	कोलामी, नाइकी	
ओडिशा	कुई, कुवे, पंगो, बान्दो, जुआग	
कनॉटक	कोडागू	
कनॉटक, केरल	कोरगा, तुलु	द्रविड़
बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़	कुरुख	
मध्य प्रदेश	परजी	
मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़	गोंडी	
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़	मारिया	

Source: <https://www.wordsinthebucket.com/indian-tribal-languages-1>

### निष्कर्ष-

इंसान चरित्र से स्वार्थी होता है लेकिन इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि किसी की जिंदगी को परेशानी में डाला जाये और उसके विकास की सारी हदें या सारे दरवाजे बंद कर दिए जायें। विकास का मुख्य उद्देश्य समानता और समरसता होता है और अगर विकास एक तरफ़ा और समाज के एक पहलू का हो तो वो समाज में अराजकता और भ्रष्टाचार और असमानता और सामाजिक विद्रोह पैदा करता है/ कुछ अखबारों में छापे हुई समाचार की सचाई यहाँ दर्शना चाहते हैं कि कैसे जनजाति की भलाई वाली योजना का लाभ पढ़े-लिखे और अमीर दुरपयोग करते हैं।

हर रोज सामाजिक भेदभाव की घटनाये भारत में होती हैं और उनका रूप बहुत ही तरह का होता है। जैसे नीचे तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे लोग जनजाति का प्रमाणपत्र बनवाकर लाभ के पद पर रह कर उन्ही का शोषण करते है और जातिवादी सोच के साथ ही छुआछूत जैसे अमानवीय घटनाएं भी होती है। अब ये बात सोचने वाली है कि क्या ये सब अनपढ़ और अनभिज्ञ लोग करते है या कोई षड्यंत्र है जिसको पूर्व नियोजित तरीके से किया जाता है।

क्या इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर सकारात्मक पड़ेगा या समाज में सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी। किसी भी रूप में सामाजिक समानता कायम करने में साहित्यकारों का अहम भूमिका थी और हमेशा रहेगी, इसलिए साहित्यकार समाज का वर्तमान और भविष्य का आईना होता है जो भूतकाल के अनुभव से वर्तमान और भविष्य का रास्ता निर्धारित करता है। समाज को भाषा, भेष-भूसा, खानपान, रहन-सहन, कर्म, रंग आदि के आधार पर बाँट सकते है पर क्या मानव के प्राकृतिक स्वाभाव और प्राकृतिक संरचना को भी बाँटा जा सकता है। जनजाति और सभी जाति के लोगों में अगर कोई अंतर है तो वह है भाषा का और अगर सब की भाषा एक हो जाये तो शायद समाज को विकसित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई भी भाषा प्राकृतिक नहीं होती है ये अपने तरीके से अपने लिए अपनों के द्वारा संचार का माध्यम मात्र है। अगर कोई भाषा प्राकृतिक होती तो नया जन्म लेने वाला शिशु अंग्रेजी में, संस्कृति में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फ्रेंच, रसियन (रूसी), चीनी, जापानी आदि में रोता। इसलिए समाज में व्याप्त बुराईयाँ सिर्फ वाद से होती है और ये वाद है – भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, रंगभेदवाद, और अन्य तरह के वाद।

जनजातियों की संख्या बढ़ना ठीक पर नीति विरुद्ध अतार्किक तरीके से बढ़ना देश व समाज के लिए घातक हो सकता है। जो जनजाति जन्म से है उनका पूर्ण विकास से पहले और जातियों को जनजाति बना देना ये एक अन्याय ही नहीं बहुत बड़ा धोखा है उन अशिक्षित और बेरोजगारों के लिए, क्या एक जातिवादी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति बना दिया जाये तो क्या उसकी नियत में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिलकुल नहीं, जबकि वो उनकी सारी लाभ की योजनाओं को हड़प लेगा और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से बंद से बदतर हो जायेगी। इसलिए जनजातीय साहित्य में दिन प्रतिदिन परिवर्तन को दिखाना अत्यन्त आवश्यक है।

### संदर्भ:-

1. भारत की जनगणना (2001). महालेखाकार और जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत की जनगणना (2011). महालेखाकार और जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सारदा प्रसाद और प्रवीण कुमार (2013), "मध्य प्रदेश और भारत के अनुसूची जनजातियों के बीच रोग पैटर्न और इसके उपचार" संघर्ष में प्रकाशित: दलित साहित्यिक अध्ययन के ई-जर्नल, अक्टूबर-दिसम्बर, Vol.02(04):52-72, (ISSN-2278-3067) [http://dalitsahitya.com/assets/content/volumes/Sangharsh\\_Vol\\_02\\_Issue\\_04\\_2013\\_web](http://dalitsahitya.com/assets/content/volumes/Sangharsh_Vol_02_Issue_04_2013_web)
4. <https://www.wordsinthebucket.com/indian-tribal-languages-1>
5. NSSO (2016), National Sample Survey Organization, 71<sup>st</sup> round report, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. <https://www.mospi.gov.in/>